

छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
:: मंत्रालय ::

महानदी भवन, अटल नगर

क्रमांक/पंचा/पंग्राविवि/14वें वित्त/2018/ 129
प्रति,

अटल नगर, दिनांक 14.09.2018

- 1 समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़।
- 2 समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
छत्तीसगढ़।


विषय :- "सबकी योजना-सबका विकास" के अन्तर्गत जीपीडीपी निर्माण के संबंध में।

---000---

विषयांतर्गत आप अवगत हैं कि, भारत सरकार द्वारा "सबकी योजना-सबका विकास" अभियान के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में "ग्राम पंचायत विकास योजना" हेतु 02 अक्टूबर 2018 से 31 दिसम्बर 2018 तक ग्राम सभा का आयोजन किया जाना है। भारत सरकार के निर्देशानुसार ग्राम सभा में 29 विषय से संबंधित विभाग के मैदानी अमला ग्राम सभा के समक्ष मौजूदा वर्ष में लागू होने वाले गतिविधियों की प्रगति के साथ-साथ वर्ष 2019-20 के दौरान किये जाने वाले प्रस्तावों और इनके लिए आबंटित की जाने वाली निधियों का सार्वजनिक प्रकटीकरण करेंगे। इन्हीं सार्वजनिक प्रकटीकरण के आधार पर ग्राम सभा में अनुमोदन पश्चात् जीपीडीपी निर्माण में शामिल किया जायेगा। इसी प्रकार गरीबी उन्मूलन योजना को जीपीडीपी योजना के प्रक्रिया में विचार-विमर्श के बाद शामिल किया जा सकता है। इसके लिए गरीबी उन्मूलन योजना एवं आय बढ़ाने हेतु कार्ययोजना स्वसहायता समूह द्वारा ग्राम सभा में प्रस्तुत की जायेगी। उक्त कार्य हेतु प्रभारी अधिकारी के रूप में ग्राम सभावार विकास विस्तार अधिकारी/सहायक विकास विस्तार अधिकारी की नियुक्ति कर लिया जाय।

जिलों द्वारा तैयार कराई गई उक्त कार्ययोजना का प्रस्तुतिकरण दिनांक 09.09.2018 को प्रातः 11:00 बजे ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान, निमोरा में जिले के प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जायेगा। इस कार्य के लिए श्री विनय प्रकाश तिकी संयुक्त संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी होंगे।

अतएव जिले में तैयार की गई कार्ययोजना की प्रस्तुतिकरण हेतु विकास विस्तार अधिकारी/सहायक विकास विस्तार अधिकारी को उपयुक्त स्थल पर निर्धारित समय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।


(पी.सी.मिश्रा) 14/09/18
सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

अटल नगर, दिनांक 14.09.2018

पृ. क्रमांक/पंचा/पंग्राविवि/14वें वित्त/2018/ 130
प्रतिलिपि :-

- 1 स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
- 2 संभागायुक्त, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर एवं सरगुजा छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।
- 3 संचालक, पंचायत संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर को सूचनार्थ।
- 4 संचालक, ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान निमोरा (SIRD) को सूचनार्थ।
- 5 श्री विनय प्रकाश तिकी, संयुक्त संचालक, NRLM इन्द्रावती भवन, अटल नगर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग